

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक.....C/5857/...../
IV-12-14 80 Pt- VII-N

जबलपुर, दिनांक 24/12/18

श्री बीजू बेबी, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को प्राप्त होने वाला गृह भाड़ा भत्ता दिनांक 03/12/2018 से बंद किया जाता है।


सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

क्रमांकC/5858/...../
IV-12-14 80 Pt- VII-N

जबलपुर, दिनांक 24/12/18

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
3. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. श्री बीजू बेबी, निजी सचिव (यूनिक कोड नम्बर-180011500) उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

